

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग - 8)


क्रमांक प. 8(13)(3)ग्रावि/अनु.-8/बैठक/2015

जयपुर, दिनांक :- 28.06.2017


बैठक कार्यवाही विवरण

श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के तहत दिनांक 23.6.2017 को शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्न निर्णय लिये गये।

क्र. सं.	दिये गये निर्देश	उत्तरदायी अधिकारी / विभाग	निर्धारित अवधि
1.	संबंधित लाईन विभागों के अधिकारियों, विकास अधिकारियों और संबंधित सरपंच एवं पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मिलाकर जिला स्तरीय समिति गठित की जाए। जिला कलक्टर इस समिति के अध्यक्ष होंगे।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)	10 जुलाई 2017
2.	जिला स्तरीय समिति की प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की समीक्षा की जाए। इस हेतु जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाए।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)	15 जुलाई 2017
3.	संबंधित क्लस्टर के माननीय विधायक को पत्र के माध्यम से योजना एवं इसमें कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी दी जाए।	संबंधित विकास अधिकारी	प्रत्येक माह की 10 तारीख तक
4.	संबंधित सभी विकास अधिकारियों को लाईन विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर मिशन के तहत करवाये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति शीघ्र जारी करने हेतु निर्देशित किया जाए।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)	15 जुलाई 2017
5.	स्किल डवलपमेंट एव इम्प्लाइमेंट जनरेशन, एग्री सर्विसेज, स्कूल एज्युकेशन की डीपीआर प्रस्तुत की जाए।	मुख्य परिचालन प्रबंधक(राजीविका)	31 जुलाई 2017
6.	संबंधित लाईन विभागों से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति हेतु पत्र जारी करावें।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू), संबंधित विकास अधिकारी, जिला कलक्टर	31 जुलाई 2017
7.	मिशन को गति देने हेतु एक्सप्लोजर विजिट रखी जाए।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू) एवं श्री सुभायु (राजीविका)	20 जुलाई 2017




8.	संबंधित विकास अधिकारी एवं लाईन विभागों के अधिकारियों के साथ विडियों कॉन्फ्रेन्स की जाए।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.)	4 जुलाई 2017
9.	क्लस्टर के सरपंचों, विकास अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए।	परि०निदे० एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.)	10 जुलाई 2017


 परि.निदे. एवं पदेन
 उप सचिव (मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग।
5. चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, राजस्थान ग्रामीण राजीविका मिशन, उद्योग भवन।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बाडमेर, नागौर।
7. संबंधित विकास अधिकारी, कामा (भरतपुर), लूणी (जोधपुर), गोगून्दा (उदयपुर), बालोतरा (बाडमेर), मकराना (नागौर)।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


 परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव
 (मो. एवं मू.)